



Neutral Citation-2026: AHC:21266

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3350 वर्ष 2026

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मायाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सत्येन्द्र नाथ शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि इस चरण पर वर्तमान याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया जाए।

2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।

3. तदनुसार, इस चरण पर रिट याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"